मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल

चर्चा में क्यों?

25 अगस्त, 2021 को **राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा **मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना** के तहत देय सहायता राशि का त्वरित एवं ऑनलाइन भुगतान करने हेतु केंद्रीकृत भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अब तक कोरोना महामारी से चिह्नित अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को ज़िला कलेक्टर के स्तर पर ऑफलाइन स्वीकृति जारी कर देय सहायता राशि का भुगतान सीधे ही किया जाता था। अब विभाग द्वारा ऐसे पीड़ित बच्चों एवं विधवा महिलाओं को त्वरित स्वीकृति एवं सीधे ही उनके बैंक खाते के माध्यम से नियमित भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता पोर्टल विकसित किया गया है।
- अब विभाग द्वारा ऑफलाइन भुगतान किये गए समस्त लाभार्थियों को पोर्टल पर फीड कर **मुख्यमंत्री सहायता कोष** से प्राप्त राशि का ऑनलाइन प्रक्रिया से एकमुश्त एवं मासिक देय सहायता राशि का निरंतर निदेशालय स्तर से **राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (आरपीपी)** के माध्यम से केंद्रीकृत भुगतान समय पर किया जाएगा।
- इससे सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से राशि उनके बैंक खातों में प्रतिमाह प्राप्त हो सकेगी। राशि खाते में जाते ही संबंधित लाभार्थी के मोबाइल पर राशि हस्तांतरित होने का एसएमएस भी पोर्टल द्वारा भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू** की गई है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centralized-payment-portal-under-chief-minister-corona-sahayata-yojana